

19.7.22

वकील उमयपदा उपो वकील अपीं द्वारा
षण् पत्र दि 19.7.22 पेश करते हुए निवेदन
किया कि न्याया० S.D.O. भरतपुर द्वारा आदेश क
डिडी 11.2.20 को निर्दिष्ट पारित कर अपीं के
रकबा की पूर्ति आदेश पारित किया गया है। इसलिये
अपीला-2 उक्त संक्षिप्त कार्यवाही को चलाना नहीं
चाहते हैं। अतः अपील को इसी स्तर पर NOT
प्रिजिस क आधार पर खारिज किया जावे। कथनों की
ताहिद में वकील स्वामी श्री कृष्ण कुमार बिंदल वकील अपीं
ने आदेशों पर हस्ताक्षर अंकित किए। यदि स्वयं
वकील कृष्ण अपनी अपील को नोट प्रेस में खारिज
कराना चाहते हैं तो अब इस अपील को अब
आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं रहा

Not Proved
19/7/22

P.T.O. →

लिहाजा यह कपील स्वयं कपील
कपीलर के द्वारा प्रदुत प्रार्थना पत्र
वाचन कपील का आगे नहीं चलाए
जो एवं इसी तरह पर Not Press
में स्वीकृत लिए जोने के कारण
कपील कपीलर Not Press में
स्वीकृत की जाती है। पञ्चवली
पेहल शुभा देका काइ शरी
दालिल दफ्तर की आवे।

W/h

संघीय आयुक्त
भरतपुर संघ, भरतपुर

2024